पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल

//परिपत्र//

क्रमांक-पु.मु./2-चयन/स-1/ 1502 /भोपाल, दिनांक 29 / 11 /2021

प्रति,

समस्त पुलिस इकाइयाँ,
मध्यप्रदेश.

विषय :- वेतन निर्धारण के संबंध में पूर्व की सेवाओं का लाभ देने बावत।

--0--

कुछ इकाईयों व्दारा कुछ कर्मचारी/अधिकारियों के वेतन विसंगित के परिप्रेक्ष्य में वेतन निर्धारण के संबंध में पूर्व की सेवाओं का लाभ देने के संबंध में मार्गदर्शन चाहा है। ऐसे प्रकरण जहाँ पर पूर्व की शासकीय सेवा में रहने के बाद पुलिस में भर्ती अभ्यर्थियों के वेतन निर्धारण हेतु पूर्व में जारी आदेश एवं नियम/परिपत्र निम्नानुसार हैं :-

2. म.प्र.मूलभूत नियम-22-सी के अनुसार परिवीक्षा पर नियुक्त किये जाने पर स्थायी शासकीय सेवक का वेतन निम्नानुसार संरक्षित रहेगा :-

"1. स्थायी शासकीय सेवक का स्थायी पद पर मिलने वाला वेतन यदि नये पद के निम्नतम वेतन से अधिक रहता है तो उसके व्दारा धारित स्थायी पद का वेतन संरक्षित रहेगा।

"2. उनकी वार्षिक वेतन वृद्धियाँ मूलभूत नियम 22-सी के उपबन्धों के अनुसार शासित होगी, अर्थात उसके स्थायी पद के वेतन के साथ वेतन वृद्धियाँ भी संरक्षित रहेंगी।"

3. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 1171 न.पं. 766.4.नि,1.72, भोपाल दिनांक 26 सितम्बर 1972 के पैरा-02 अनुसार :-

"2.......राज्य शासन के अधीन ऐसे शासकीय सेवक जो कि अपने ही व्दारा (राज्य शासन के अधीन) अन्य विभागों में किसी पद के लिए उचित माध्यम से आवेदन-पत्र देते हैं और यदि उनका चयन आवेदित पद पर हो जाता है, किन्तु प्रशासनिक कारणों से यदि उन्हें पूर्व सेवाओं का लाभ, अन्यथा नियमों के अन्तर्गत देय हो तो, वेतन निर्धारण के लिये भी दिया जायेगा।

"3. इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त नियम के मामले में त्यागपत्र मंजूर करने के आदेशों में यह बात स्पष्ट बताई जानी चाहिये कि कर्मचारियों ने अन्य नियुक्ति में कार्यग्रहण करने के लिये उचित अनुमति लेकर, त्यागपत्र दिया है और उसे त्यागपत्र की पूर्व सेवाओं का लाभ मिलेगा। इन आदेशों का विवरण उपर्युक्त प्रमाणीकरण सहित संबंधित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में नोट किया जाना चाहिये। इसके लिये अलग से मंजूरी जारी करना आवश्यक नहीं है।"

अतएव सीधी भर्ती से चयनित किसी अभ्यर्थी के वेतन निर्धारण को उपरोक्तानुसार निर्धारित नहीं किया गया हो तो सक्षम अधिकारी व्दारा ऐसी विसंगति को शासन के उपरोक्त आदेशों/नियमों/परिपत्रों अनुसार दूर कर लिया जाए।

26/11/21

(संजीव शमी)

o/c अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (चयन/भर्ती)

पुलिस मुख्यालय, भोपाल

पृ.क्रमांक/पुमु/2-चयन/स-1/ 1502/भोपाल, दिनांक 29/11/2021

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. समस्त विशेष पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल।
2. समस्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल।
3. समस्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक जोन(वि.स.बल/रेल सहित)।
4. समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक(वि.स.बल/रेल/महिला अपराध सहित)।
5. समस्त सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल।

o/c अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (चयन/भर्ती)

पुलिस मुख्यालय, भोपाल